सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या-02 /2018-13(6)/2017/का-1-2018

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी ,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 मार्च, 2018

विषय :-राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों का भरा जाना ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2017 एवं तत्सम्बन्धी अनुस्मारक पत्रों क्रमश: दिनांक 08 सितम्बर, 2017, दिनांक 26 सितम्बर, 2017, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 एवं दिनांक 07 नवम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्रों के अतिरिक्त कतिपय विभागों को कार्मिक विभाग द्वारा पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 2017, 20 नवम्बर, 2017, 21 नवम्बर, 2017, 22 नवम्बर, 2017, 23 नवम्बर, 2017, 24 नवम्बर, 2017 एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को भी पत्र प्रेषित किये गये है। पुन: सभी को मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से दिनांक 09 जनवरी, 2018 को पत्र प्रेषित किया गया है ।

2- उक्त सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों द्वारा अपने प्रशासकीय/अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन कार्मिकों के सम्बन्ध में चयन वर्ष 2017-2018 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का आगणन कर, शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर, पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कराकर संलग्न प्रारूप पर पूरे विभाग की समेकित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी । कार्मिक विभाग द्वारा पदोन्नतियों के सन्दर्भ में विभिन्न तिथियों में अनेक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 09 जनवरी, 2018 के पत्र के माध्यम से कतिपय निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिसमें पदोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक पूर्ण करने तथा उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश भी सम्मिलित है ।

3- पदोन्नति विषयक प्राप्त सूचनाओं के परिशीलन से प्रकट हुआ है कि अभी भी आगणित रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु संस्तुत/पदोन्नति प्रदान किये जा चुके कार्मिकों की संख्या अत्यल्प है । यह स्थिति उचित नहीं है।

4- उपर्युक्त के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पदोन्नति की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करते/कराते हुए उसकी अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 02-04-2018 तक अनिवार्य रूप से कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-02 /2018-13(6)/2017(1)/का-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।